रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1973/ज्येष्ठ 25, 1895
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1973/JYAISTHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th June 1973

SUBJECT.—*Import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April 1973—March, 1974—Modes of financing.*

No.100-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the policy for the grant of import licences for raw materials, components and spares to actual users in the small scale sector, as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974.

2. In terms of the aforesaid policy, import licences for raw materials, components and spares to small scale units for the licensing period 1973-74 will, unless modified by any further Public Notice, be issued against the modes of financing as indicated in the succeeding paragraphs of this Public Notice.

3. Import licences will be issued against free foreign exchange in the case of units whose entitlement for a licence works out to an amount not exceeding Rs. 5,000/- (irrespective of their export performance).

4. In the case of units whose entitlement for a licence works out to an amount more than Rs. 5,000/-, but not more than Rs. 50,000/-, the licences may be given for 50 per cent subject to a minimum of Rs. 5,000/- in free foreign exchange and the balance against U.K. Credit. If such units export 10 per cent or more of their production, they may be given import licences against the modes of financing as indicated for exporting units whose entitlement for a licence works out to an amount more than Rs. 50,000/- as indicated in para 5 below.

5. In the case of units whose import entitlement exceeds Rs. 50,000/- the modes of financing will also depend on their export performance as indicated below:—

(a) Units which have exported 10 per cent or more of their production during the calendar year 1972 or financial year 1972-73 and have been granted export performance certificate by the CCI&E.

(i) In the case of units whose export performance, is less than 25 per cent of their production, licences will be granted for 2/3rd of their import entitlements in free foreign exchange and the balance 1/3rd under U.K. Credit.

(ii) In the case of units whose export performance is 25 per cent or more, import licences will be issued for the full import entitlement in free foreign exchange.

(iii) In the case of units (whose export performance during the year 1971 or 1971-72 was 10 per cent or more of their production but less than 25 per cent) having exports during the calendar year 1972 or financial year 1972-73 for twice the value of their exports during 1971 or 1971-72, as the case may be, will be granted import licences for the full import entitlement in free foreign exchange.

(b) In the case of units whose entitlement for a licence exceeds Rs. 50,000/-, and which have not exported 10 per cent of their production during 1972 or 1972-73, the import licence will be issued 50 per cent in free foreign exchange and the balance will be divided equally against U.K. Credit and Rupee payment area.

6. It will also be open to an applicant to opt for conversion of its entitlement of both general currency area and U.K. Credit licences into rupee payment area. The units who apply for such conversion will be granted import licences by the licensing authorities on rupee payment area for a value equal to twice the entitlement of the unit against general currency and U.K. credit. This facility will not, however, be allowed in cases where only a part of the entitlement is sought to be converted. The units who obtain their licences from rupee payment area under this facility will not be eligible to apply for issue of release orders in respect of canalised items against converted licences in terms of the provision made in Appendix 69 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April, 1973—March 1974.

7. In cases where release orders are issued in respect of items, the import of which is canalised through Public Sector agencies, the balance entitlement after deducting the value for which release order is issued to the applicant will be divided into various modes of financing in terms of this Public Notice.

8. In the case of new units whose entitlement for a licence is upto Rs. 50,000/-, the import licences will be issued in the manner provided in paragraphs 3 & 4 of this Public Notice. Units having entitlement for a licence higher than Rs. 50,000/- will be eligible to the modes of financing applicable to non-exporting units as indicated in paragraph 5(b) above.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 जून, 1973

विषय : अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 के दौरान लघु पैमाना क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चा सामान, संघटकों और फालतू पुर्जों का आयात-वित्तदान के तरीके ।

सं० 100–आई० टी० सी० (पी एन)/73.—अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक—वा० 1) में यथा निहित लघु पैमाना क्षेत्र में वास्तविक

उपयोक्ताओं को कच्चा सामान, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. पूर्वोक्त नीति के अनसार लघु पैमाना एककों को लाइसेंस-अवधि 1973–74 के लिए कच्चे सामान संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस, जब तक किसी और सार्वजनिक सूचना द्वारा आशोधन नहीं किया जाता तब तक इस सार्वजनिक सूचना की आगे की कंडिकाओं में यथा निर्दिष्ट वित्तदान के तरीकों के आधार पर जारी किए जाएंगे ।

3. मुक्त विदेशी मुद्रा के प्रति उन एककों के मामले में आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिनकी एक लाइसेंस के लिए हकदारी की कुल धनराशि 5,000/– रुपये (उनके निर्यात निष्पादन का ध्यान किए बिना) से अधिक नहीं है ।

4. एक लाइसेंस के लिए जिन एककों की हकदारी की कुल धनराशि 5,000/– रु० से अधिक है परन्तु, 50,000/– रुपये से अधिक नहीं है उनके मामले में लाइसेंस 50 प्रतिशत के लिए न्यूनतम 5,000/– रुपये की शर्त के अधीन मुक्त विदेशी मुद्रा में और शेष य० के० क्रेडिट के प्रति दिए जा सकते हैं । यदि ऐसे एकक अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात करते हैं तो उनको नीचे कंडिका 5 में यथा निर्दिष्ट जिन निर्यात करने वाले एककों की एक लाइसेंस के लिए हकदारी की धनराशि 50,000/– रुपये से अधिक है उनके लिए यथा निर्दिष्ट वित्तदान के तरीकों के आधार पर आयात लाइसेंस दिए जा सकते हैं ।

5. जिन एककों की आयात हकदारी 50,000/- रुपये से अधिक है उनके मामले में वित्त-दान के तरीके भी नीचे यथा निर्दिष्ट उनके निर्यात निष्पादन पर आधारित होंगे :—

(क) वे एकक जिन्होंने पंचांग वर्ष 1972 या वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक निर्यात किया है और जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं :—

(1) जिन एककों का निर्यात निष्पादन उनके उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम है उनके मामले में लाइसेंस उनकी आयात हकदारियों के 2/3 के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा में और शेष 1/3 यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत प्रदान किए जाएंगे ।

(2) जिन एककों का निर्यात निष्पादन 25 प्रतिशत या अधिक है उनके मामले में आयात लाइसेंस पूर्ण आयात हकदारी के लिए मक्त विदेशी मुद्रा में जारी किए जाएंगे ।

(3) वे एकक (जिनका 1971 या 1971–72 वर्ष के दौरान निर्यात निष्पादन उनके उत्पादन का 10 प्रतिशत या अधिक परन्तु 25 प्रतिशत से कम था) जिनके निर्यात पंचांग वर्ष 1972 या वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान 1971 या 1971–72 वर्ष जैसा भी मामला हो, के दौरान किए गए उनके निर्यातों के मल्य के दुगने हों उन एककों के मामले में आयात लाइसेंस पूर्ण आयात हकदारी के लिए मक्त विदेशी मुद्रा में प्रदान किए जाएंगे ।

(ख) एक लाइसेंस के लिए जिन एककों की हकदारी 50,000/- रुपये से अधिक है और जिन्होंने 1972 या 1972–73 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत निर्यात नहीं किया है उनके मामले में आयात लाइसेंस 50 प्रतिशत मुक्त विदेशी मुद्रा में जारी किए जाएंगे और शेष यू० के० क्रेडिट और रुपया भगतान क्षेत्र के प्रति बराबर बराबर विभाजित किए जाएंगे ।

6. आवेदक के लिए यह भी छूट होगी कि वह सामान्य मुद्रा क्षेत्र और यू० के० क्रेडिट लाइसेंसों दोनों की अपनी हकदारी को रुपया भुगतान क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अपनी इच्छा बताएं । जो एकक ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन करेंगे उनको सामान्य मुद्रा और यू० के० क्रेडिट के लिए उनकी हकदारी के दुगने मूल्य के बराबर के लिए रुपया भुगतान क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे । लेकिन यह सुविधा ऐसे मामलों में नहीं दी जाएगी जिन में हकदारी के केवल किसी भाग के लिए परिवर्तन चाहा गया है । जो एकक इस सुविधा के अन्तर्गत रुपया भुगतान क्षेत्र से अपने लाइसेंस प्राप्त करेंगे वे अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के परिशिष्ट 69 में की गई व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित लाइसेंसों के बदले सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में रिहाई आदेशों की स्वीकृति के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

7. जिन मामलों में उन मदों के सम्बन्ध में रिहाई आदेश जारी किए जाते हैं जिनका आयात सार्वजनिक क्षेत्र में अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध है उनमें आवेदक की शेष हकदारी उसको जारी किए गए रिहाई आदेश के मूल्य को घटाने के बाद इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार वित्तदान के विभिन्न तरीकों में विभाजित की जाएगी ।

8. जिन नए एककों की एक लाइसेंस के लिए हकदारी 50,000/- रुपये तक है उनके मामले में आयात लाइसेंस इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 और 4 में दिए गए तरीके से जारी किए जाएंगे । जिन एककों की एक लाइसेंस के लिए हकदारी 50,000/- रुपये से अधिक है वे उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) में यथा निर्दिष्ट निर्यात न करने वाले एककों के लिए लागू वित्तदान के तरीकों के लिए पात्र होंगे ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973